Order sheet [Contd]

case No BA 75/2018

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

28-02-18

03:30 to 03:45 PM आवेदक / अभियुक्त रवि सिंह गुर्जर द्वारा श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

थाना गोहद के अपराध क्रमांक 296 / 17 अंतर्गत धारा 382, 394 भा0दं0सं0 एवं धारा—11,13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट तथा धारा 25, 27 आयुध अधिनियम की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त।

आवेदक रिव सिंह गुर्जर के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं०प्र0सं० के समर्थन में आवेदक रिव सिंह गुर्जर के पिता भारत सिंह द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र0सं० का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है।

आवेदक रवि के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा ४३९ दं०प्र०सं० पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि आवेदक को पुलिस गोहद द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर तथाकथित अपराध में बंदी बना लिया है जबिक आवेदक को किसी प्रकार के अपराध से कोई संबंध और सरोकार नहीं है। आवेदक दो माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक अपने घर में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। यदि आवेदक को अधिक दिनों तक न्यायिक निरोध में रखा गया तो उसके स्वस्थ पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उसके परिवार के भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया है और अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 14.12.2017 की रात्रि 2 बजे के लगभग फरियादी अशोक बाथम के घर स्थित बरथरा रोड गोहद में, जब कि फरियादी व उसका परिवार सो रहे थे, चार बदमाश घुस आये एक बदमाश ने अशोक बाथम के भाई कमल सिंह को कट्टे का बट मारा जिससे उसकी नाक तथा हाथ की उंगली में चोट आयी, दूसरी बदमाश ने अशोक बाथम के भतीजे अभिषेक के कुल्हाड़ी मारी जिससे उसके माथे पर उपर सिर में चोट आयी तथा खून निकल आया। झुमा—झटकी कर चारों बदमाश भाग गये। चारों बदमाश अलमारी में रखा सोने—चांदी का जेवर, कीमती लगभग दो लाख रूपये नकदी पचास हजार सहित लूट ले गये थे। उक्त घटना की रिपोर्ट देहाती नालसी के रूप में थाना गोहद में दर्ज करायी गयी।

दौराने अनुसंधान यह तथ्य सामने आये कि उक्त लूट रिव गुर्जर, जीतू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर, रट्टी उर्फ सुभाष गुर्जर एवं बल्लो उर्फ बलवीर गुर्जर ने मिलकर की थी तथा उक्त मारपीट की थी। अभियुक्त रिव गुर्जर के आधिपत्य से एक जो कानों की झुमकी सोने जैसी, एक चांदी जैसा धातु का गुच्छा, 1,600 /—रूपये, जीतू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर से एक जोड़ सोने जैसी धातु के टॉप्स, तीन जोड़ी चांदी जैसी पायल, एक कुल्हाड़ी लोहे की, 3,000 /—रूपये नकद एवं 6,000 /—रूपये नकद, रट्टी उर्फ सुभाष गुर्जर से एक सोने जैसी धातु की चैन दो तोला, एक 315 बोर का कट्टा, दो जिन्दा राउण्ड एवं 3,500 /—रूपये एवं अभियुक्त बल्लो उर्फ बलवीर सिंह गुर्जर से दो अंगूठी जनानी सोने जैसी धातु की, 2,000 /—रूपये नकद एवं लोहे का एक फरसा जप्त किया गया है।

म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा—5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार धारा—5(2) के तहत विरोध किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदक रवि सिंह गुर्जर का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति केस डायरी सहित थाना गोहद की ओर प्रेषित की जावे।

प्रकरण पूर्ववत् चालन प्रस्तुति हेतु दिनांक 07.03.18 को पेश हो।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड